

245

641

3061/CT/S
23/5/14

उ०प्र० शासन
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।
संख्या-834/69-1-14-14(104)/2013
लखनऊ : दिनांक : 23 मई, 2014

कार्यालय-ज्ञाप

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 12 वीं पंचवर्षीय योजना में शहरी गरीबों को आजीविका उपलब्ध कराने और उनके सशक्तीकरण हेतु राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) प्रारम्भ किया गया है। मिशन के अन्तर्गत उपघटक के रूप में शहरी पथ विक्रेताओं को सम्मान पूर्ण जीवन यापन एवं आजीविका की सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजना आरम्भ की गयी है।

2- शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता की योजना (एस.यू.एस.वी.) (Support to Urban Street Vendors) (SUSV) का मुख्य उद्देश्य शहरी पथ विक्रेताओं को उनके कार्य के लिये उपयुक्त स्थलों, संस्थागत ऋण, सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराने के साथ शहरी पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण कर उन्हें पहचान-पत्र जारी करना, शहरी पथ विक्रेता प्लान (सिटी स्टीट वेडिंग प्लान) तैयार करना, शहर में वेडिंग जोन हेतु अवस्थापना विकास, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास, वित्तीय सहायता एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

3- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन०यू०एल०एम०) के अन्तर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजना (एस.यू.एस.वी.) के प्रचलनात्मक दिशा-निर्देश के प्रस्तर-5 में यह प्राविधान किया गया है कि शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता उपलब्ध कराने हेतु शहर स्तर पर विस्तृत क्रियान्वयन प्लान (डिटेल्ड इम्प्लीमेंटेशन प्लान) (डी०आई०पी०) तैयार की जायेगी। डी०आई०पी० की स्वीकृति हेतु प्रमुख सचिव/सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति का गठन किया जायेगा।

4- उक्त योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रस्तावों/परियोजनाओं पर विचार और अनुमोदन हेतु शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजना (एस.यू.एस.वी.) के अन्तर्गत राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

क्रमांक	पदनाम	सदस्यता
1	प्रमुख सचिव/सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग	अध्यक्ष
2	सचिव, नगर विकास	सदस्य
3	सचिव, नियोजन विभाग	सदस्य
4	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	सदस्य
5	सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन	सदस्य
6	आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
7	निदेशक, स्थानीय निकाय	सदस्य
8	वित्त नियंत्रक, सूडा/राज्य मिशन एन०यू०एल०एम०	सदस्य
9	राज्य मिशन निदेशक, एन०यू०एल०एम०	संयोजक

LD/P
JD/PD

23/5/14

न०/50/15
3/परि०-निर्देश०/सचिव०/र०

संयुक्त निदेशक
26 सूडा/14

श्री निदेशक राज्य
26/5

उक्त समिति द्वारा योजना से संबंधित परियोजनाओं पर विचार कर संस्तुति राज्य शहरी आजीविका मिशन (एस.यू.एल.एम.) को प्रस्तुत की जायेगी।


श्रीप्रकाश सिंह
सचिव।

संख्या-834 (1)69-1-14-14(104)/2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0
2. विशेष कार्याधिकारी, मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
14. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
15. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
16. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्रांक-4308/241/एसजेएसआरवाई-एनयूएलएम/तीन/2001,दिनांक 31.03.2014 के सन्दर्भ में।
17. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
18. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
19. समस्त नगर आयुक्त/अधिसासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।
20. समस्त महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उ0प्र0।
21. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
22. समस्त जिला आपूर्ति अधिकारी, उ0प्र0।
23. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
24. गार्ड फाइल।



आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।